सौम्य अरिहंत जन कल्याण सेवा समिति इन्दौर की साधारण सभा की मिटिंग के कार्यवृत्त

बैठक दिनांक: 28/05/2026, समय 11.00 बजे, स्थान: CH-50, सुखलिया, इन्दौर

संस्था की साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता ज्ञानश्री बाफना ने की। बैठक में एजेन्डा अनुसार निम्नांकित विषयों पर चर्चा हुई एवं निर्णय लिये गयेः

एजेन्डा क्रमांक 1 **सदस्यों के अनुपस्थिति की सूचना**

सचिव ने सूचित किया कि साधारण सभा के किसी भी सदस्य ने अनुपस्थित रहने की सूचना नहीं दी है।

एजेन्डा क्रमांक 2 **वर्ष 2025-26 में आयोजित प्रबंधकारिणी समिति मिटिंग के कार्यवृत्तों की पुष्टि एवं स्वीकृति**

वर्ष 2025-26 में आयोजित की गई प्रबंधकारिणी समिति मिटिंग के कार्यवृत्त साधारण सभा में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये। इस सम्बन्ध में साधारण सभा के सदस्यों ने संकल्प पारित किया कि "वर्ष 2025-26 में आयोजित प्रबंधकारिणी समिति मिटिंग के कार्यवृत्तों को सर्व सम्मति से स्वीकृत किया जाता है"।

एजेन्डा क्रमांक 3 **वर्ष 2025-26 के वार्षिक एकाउन्ट्स पर चर्चा एवं स्वीकृति**

कोषाध्यक्ष द्वारा वार्षिक एकाउन्ट्स प्रस्तुत किया गया। कोषाध्यक्ष ने बताया कि समिति के एकाउन्ट का अंकक्षेण मेसर्स सोनी एस एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, इन्दौर द्वारा किया गया है। साधारण सभा के सदस्यों ने वर्ष 2025-26 के वार्षिक एकाउन्ट्स को सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुए संकल्प पारित किया कि " वार्षिक एकाउन्ट्स 2025-26 को स्वीकृत किया जाता है "

एजेन्डा क्रमांक 4 **कार्यक्रम एवं समिति की गतिविधियों की समीक्षा - वर्ष 2025-26**

अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2025-26 में संचालित किये गये विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदाय की गई। साधारण सभा के सदस्यों ने संचालित की गई गतिविधियों की प्रशंसा की एवं इस दिशा में निरंतर गतिविधियाँ संचालित करते रहने का अनुरोध किया गया।

एजेन्डा क्रमांक 5 **अन्य विषयः**

म. प्र. सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 27 एवं 28 के अंतर्गत वार्षिक विवरणी का प्रस्तुतिकरण

मध्यप्रदेश सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 27 एवं 28 के अंतर्गत वार्षिक विवरणी का प्रस्तुतिकरण साधारण सभा के सभी सदस्यों ने सर्वानुमति से यह संकल्प पारित किया कि "मध्यप्रदेश सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 27 एवं 28 के अंतर्गत वार्षिक विवरणी के प्रस्तुतिकरण हेतु अध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है"।

2.

कोई अन्य विषय नहीं होने के कारण सभी सदस्यों को धन्यवाद देने के पश्चात् साधारण सभा की कार्यवाही समाप्त की गई।

नाम	पद	हस्ताक्षर
ज्ञानश्री बापना	अध्यक्ष	
संजय जैन	उपाध्यक्ष	
सुरेश नागदा	सचिव	
नरेंद्र बापना	कोषाध्यक्ष	
वर्षा औरा	संयुक्त सचिव	Varsha ora
प्रणब जैन	सदस्य	
परेश बापना	सदस्य	

Soni S and Co
Chartered Accountants
Office : 102-B, 3rd Floor,
Kanchan Sagar Building
Near Industry House, 18/1,
Old Palasia, A.B. Road, Indore (M.P.)
(Mob.) 09406800066

AUDITOR'S REPORT

I have examined the attached Balance Sheet of **Somya Arihant Jan Kalyan Sewa Samiti, CH-50, Sukhliya, Indore** on 31st March 2026 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that dated and report that :

(1) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of audit.

(2) In our opinion, proper books of accounts have been kept by the Samiti, so far as appears from our examination of the books.

(3) The Balance Sheet and Income Expenditure Account referred to in this report are in agreement with the books of account as maintained.

(4) Subject to above.
In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us Balance Sheet and Income Expenditure Account deal with by this report are true and correct.

(a) In so far as it relates to the Balance Sheet of the state of affairs as at 31-03-2026 and

(b) In so far as it relates to the Income and Expenditure A/c of the excess of income over expenditure of the year ended on that date.

Place : Indore
Date : 05/05/2026

For : **SONI S AND CO**
Chartered Accountants

SONI S AND CO FRN 032727C INDORE CHARTERED ACCOUNTANTS

(Smit Soni)
Partner

FRN No. :- 032727C
Memb. No. :- 423730

President Secretary Treasurer

नियमावली

आवेदन क्रमांक : S31501067216O5032020 **अनुमोदन दिनाँक : 13 Mar 2020**

1.	सोसायटी का नाम सौम्य अरिहंत जन कल्याण सेवा समिति होगा।
2.	सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक CH-50, सुखलिया, इंदौर 452001 तहसील इन्दौर जिला इन्दौर मध्य प्रदेश में स्थित होगा।
3.	संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा।
4.	**सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-**

1	समाज में सामाजिक कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देना । समाज में अंधविश्वासों, कुरीतियों, दहेज़ प्रथा, बाल विवाह एवं छुआछुत जैसी बुराइयों का उन्मूलन हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करना । विभिन्न सामाजिक बिन्दुओं पर सामाजिक चेतना/जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
2	गरीब महिलाओं को सक्षम बनाने के लिये प्रयास करना । महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण के लिए योजनाओ का क्रियान्वयन ।
3	परिवार परामर्श केन्द्र का संचालन करना तथा कमजोर एवं असहाय महिला एवं बच्चों को परामर्श सेवायें तथा कानूनी सलाह देकर उनको जागरूक बनाने का प्रयास करना ।
4	महिला सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण, शहरीय और आदिवासी महिलाओं के विकास कार्यक्रमों के प्रोत्साहन । महिलाओं पर अत्याचारों की रोकथाम के लिये शिक्षात्मक कार्य जैसे महिलाओं पर होने वाले बलात्कार, दहेज, मृत्यु, पत्नि के साथ मारपीट, शराबखोरी, छेड़खानी आदि अत्याचारों की रोकथाम के लिये प्रचार प्रसार करना ।
5	अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के विकास एवं कल्याण के लिये विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना ।
6	कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना । कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना ।
7	पशु-पक्षियों के संरक्षण एवं कल्याण के लिए कार्य करना । गोवंश की सुरक्षा हेतु गौ शालाओं का निर्माण एवं रखरखाव करना ।
8	गरीब एवं निशक्तजनों के लिये स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की व्यवस्था करना स्वास्थ्य से सम्बंधित संचालित विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार करना । स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ गरीबों तक पहुचाने के लिये कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
9	बालवाडी, झूलाघर, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक एवं महाविद्यालायीन शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूलों, कालेजों की स्थापना करना ।
10	एड्स उन्मूलन, मलेरिया उन्मूलन, कुष्ठ उन्मूलन एवं पल्स पोलियो हेतु जागरूकता लाने हेतु संबंधित कार्यक्रमों का संचालन करने का प्रयास करना ।
11	आम जनता को जल संरक्षण हेतु जागृत करना एवं जल प्रबंधन के लिए नीतियों का क्रियान्वयन करना ।
12	युवाओं को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु खेल, साहसिक एवं युवा गतिविधियों का संचालन करना । युवा विकास की समन्वित गतिविधियों को प्रोत्साहितकरने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन ।

	वरिष्ठ नागरिकों एवं निराश्रित लोगों के लिये वृद्धाश्रम की स्थापना करना । साथ ही निःशक्तजन, विधवा, परित्यग्ता महिला कल्याण कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं का संचालन करने का प्रयास करना।
14	पर्यावरण एवं वनों के रखरखाव एवं सुधार के लिए प्रयास करना । वृक्षारोपण, हरित क्रांति, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार ।
15	बाल कल्याण से सम्बंधित कार्यक्रमों का आयोजन करना, विकलांग/अपंगबालकों, असहायों, निर्धन, व्यक्तियों हेतु कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना ।
16	कृषि एवं सिंचाई संसाधनों का शोध करने का प्रयास करना । जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, किसानो के कल्याण के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना ।
17	अंधत्व निवारण, कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रमों में सहभागिता कर आम जन को प्रेरित करने का प्रयास करना ।
18	बाल विवाह की रोकथाम के प्रयास करना, निराश्रित कन्याओं का विवाह एवं बालिकाओं में शिक्षा विकास के लिए कार्य करना ।
19	गंन्दी बस्ती निवासियों की हालत में सुधार करने के लिए योजनाओ का क्रियान्वयन ।
20	विभिन्न स्वच्छता की योजनाओं का क्रियान्वयन करना ।
21	ऊर्जा के क्षेत्र में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, बायो खाद से ग्रामीण जन को परिचय कराना एवं उन्हें इस क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने हेतु प्रयास करना, जिससे ग्रामीण पर्यावरण स्वच्छ एवं संतुलित बना रहे ।
22	योग एवं व्यायाम का प्रचार प्रसार करना ।
23	सामाजिक विकास एवं अन्य प्रचलित विषयों पर मीटिंग्स, कार्यशालाओं, सेमिनार, गोष्ठियों का आयोजन करना ।
24	प्राकृतिक आपदा के समय सुव्यवस्था हेतु स्वयं कार्य करना व शासन के सहयोग से कार्य करना ।

5.	**सोसाइटी के सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गों के होंगेः-**
	(अ) संरक्षक सदस्यः वह व्यक्ति जो रूपये 1000/- या अधिक एकमुश्त दान करता है या एक साल के भीतर बारह किश्तों में भुगतान करता है, सोसाइटी का संरक्षक सदस्य होगा।
	(ब) आजीवन सदस्यः वह व्यक्ति जो रूपए 500/- या अधिक का भुगतान करता है, सोसाइटी का आजीवन सदस्य होगा।
	(स) साधारण सदस्यः वह व्यक्ति जो रुपए 10/- प्रतिमाह या रुपए 120/- प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा, जिसके कि लिए वह अंशदान करेगा।
	(द) अवैतनिक सदस्यः सोसाइटी की प्रबंधकारिणी समिति, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मानसेवी सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य वार्षिक साधारण सम्मिलन में भाग से सकते हैं, परंतु वे मत देने के हकदार नहीं होंगे।
6.	**सदस्यता की प्राप्ति-**प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

हस्ताक्षर
अध्यक्ष

हस्ताक्षर
सचिव

हस्ताक्षर
कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष
सौम्य अरिहंत जन कल्याण सेवा समिति

	सदस्यों की योग्यता- संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है:- 1.आयु 18 वर्ष से कम न हो। 2. भारतीय नागरिक हो। 3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो। 4.सद्चरित्र हो तथा मधपान न करता हो|
8.	**सदस्यता की समाप्ति-** संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी:- 1. मृत्यु हो जाने पर| 2. पागल हो जाने पर| 3. संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर| 4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर| 5. चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।
9.	**संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे:-** 1.प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर 2.वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया व रसीद नंबर| 3.वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।
10.	**(अ) साधारण सभा-** साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेंगी, परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी | उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा। **(ब)प्रबंधकारिणी सभा-** प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी। **(स) विशेष-** यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।
11.	**साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य:-** (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना। (ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना। (ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्त करना। (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो। (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना। (छ) बजट का अनुमोदन करना।

हस्ताक्षर
अध्यक्ष

हस्ताक्षर
सचिव

हस्ताक्षर
कोषाध्यक्ष

G. S. Bafna
अध्यक्ष
सौम्य अरिहंत जन कल्याण सेवा समिति

प्रारूप क्रमांक 1

(देखिये नियम 3)

समितियों के पंजियन हेतु ज्ञापन-पत्र

आवेदन क्रमांक : S3150106721605032020

अनुमोदन दिनाँक : 13 Mar 2020

1.	**सोसायटी का नाम** सौम्य अरिहंत जन कल्याण सेवा समिति **होगा।**
2.	**सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक** CH-50, सुखलिया, इंदौर 452001 **तहसील** Indore **जिला** Indore **मध्य प्रदेश में स्थित होगा।** **सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव)** 9644984498 **ईमेल आईडी** karuna.suthar@gmail.com
3.	**सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगेः-**
1	समाज में सामाजिक कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देना । समाज में अंधविश्वासों, कुरीतियों, दहेज़ प्रथा, बाल विवाह एवं छुआछुत जैसी बुराइयों का उन्मूलन हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करना । विभिन्न सामाजिक बिन्दुओं पर सामाजिक चेतना/जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
2	गरीब महिलाओं को सक्षम बनाने के लिये प्रयास करना । महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण के लिए योजनाओ का क्रियान्वयन ।
3	परिवार परामर्श केन्द्र का संचालन करना तथा कमजोर एवं असहाय महिला एवं बच्चों को परामर्श सेवायें तथा कानूनी सलाह देकर उनको जागरूक बनाने का प्रयास करना ।
4	महिला सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण, शहरीय और आदिवासी महिलाओं के विकास कार्यक्रमों के प्रोत्साहन । महिलाओं पर अत्याचारों की रोकथाम के लिये शिक्षात्मक कार्य जैसे महिलाओं पर होने वाले बलात्कार, दहेज, मृत्यु, पत्नि के साथ मारपीट, शराबखोरी, छेड़खानी आदि अत्याचारों की रोकथाम के लिये प्रचार प्रसार करना ।
5	अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के विकास एवं कल्याण के लिये विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना ।
6	कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना । कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना ।
7	पशु-पक्षियों के संरक्षण एवं कल्याण के लिए कार्य करना । गोवंश की सुरक्षा हेतु गौ शालाओं का निर्माण एवं रखरखाव करना ।
8	गरीब एवं निशक्तजनों के लिये स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की व्यवस्था करना स्वास्थ्य से सम्बंधित संचालित विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार करना । स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ गरीबों तक पहुचाने के लिये कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
9	बालवाडी, झूलाघर, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक एवं महाविद्यालयीन शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूलों, कालेजों की स्थापना करना ।
10	एड्स उन्मूलन, मलेरिया उन्मूलन, कुष्ठ उन्मूलन एवं पल्स पोलियो हेतु जागरूकता लाने हेतु संबंधित कार्यक्रमों का संचालन करने का प्रयास करना ।
11	आम जनता को जल संरक्षण हेतु जागृत करना एवं जल प्रबंधन के लिए नीतियों का क्रियान्वयन करना ।
12	युवाओं को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु खेल, साहसिक एवं युवा गतिविधियों का संचालन करना । युवा विकास की समन्वित गतिविधियों को प्रोत्साहितकरने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन ।
13	वरिष्ठ नागरिकों एवं निराश्रित लोगों के लिये वृद्धाश्रम की स्थापना करना । साथ ही निःशक्तजन, विधवा, परित्यग्ता महिला कल्याण कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं का संचालन करने का प्रयास करना।
14	पर्यावरण एवं वनों के रखरखाव एवं सुधार के लिए प्रयास करना । वृक्षारोपण, हरित क्रांति, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरंण के प्रति जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार ।
15	बाल कल्याण से सम्बंधित कार्यक्रमों का आयोजन करना, विकलांग/अपंगबालकों, असहायों, निर्धन, व्यक्तियों हेतु कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना ।
16	कृषि एवं सिंचाई संसाधनों का शोध करने का प्रयास करना । जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, किसानो के कल्याण के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना ।
17	अंधत्व निवारण, कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रमों में सहभागिता कर आम जन को प्रेरित करने का प्रयास करना ।
18	बाल विवाह की रोकथाम के प्रयास करना, निराश्रित कन्याओं का विवाह एवं बालिकाओं में शिक्षा विकास के लिए कार्य करना ।
19	गंन्दी बस्ती निवासियों की हालत में सुधार करने के लिए योजनाओ का क्रियान्वयन ।
20	विभिन्न स्वच्छता की योजनाओं का क्रियान्वयन करना ।
21	ऊर्जा के क्षेत्र में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, बायो खाद से ग्रामीण जन को परिचय कराना एवं उन्हें इस क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने हेतु प्रयास करना, जिससे ग्रामीण पर्यावरण स्वच्छ एवं संतुलित बना रहे ।
22	योग एवं व्यायाम का प्रचार प्रसार करना ।
23	सामाजिक विकास एवं अन्य प्रचलित विषयों पर मीटिंग्स, कार्यशालाओं, सेमिनार, गोष्ठियों का आयोजन करना ।
24	प्राकृतिक आपदा के समय सुव्यवस्था हेतु स्वयं कार्य करना व शासन के सहयोग से कार्य करना ।
4.	4. सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर संचालक परिषद समिति या शासी निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई हैः-

	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	व्यवसाय
1	श्रीमती ज्ञानश्री बाफना	श्री नरेंद्र बाफना	अध्यक्ष	CH-50, सुखलिया, इंदौर, Indore, Indore, Madhya Pradesh	गृहिणी
2	श्रीमती मोना शर्मा	श्री विशाल शर्मा	उपाध्यक्ष	3-MIG, परदेशीपुरा इंदौर, Indore, Indore, Madhya Pradesh	[illegible]
3	श्रीमती करुणा शर्मा	श्री उत्तम शर्मा	सचिव	G-3, श्याम दर्शन,स्कीम नंबर 114 PI, इंदौर, Indore, Indore, Madhya Pradesh	इंटीरियर डिज़ाइनर
4	श्रीमती परिधि सिंह	श्री नरेंद्र बाफना	कोषाध्यक्ष	517, सेक्टर आर, महालक्ष्मी नगर, इंदौर, Indore, Indore, Madhya Pradesh	गार्डनिंग डिज़ाइनर
5	श्री संजय जैन	श्री नरेंद्र बाफना	संयुक्त सचिव	CH-50, सुखलिया, इंदौर, Indore, Indore, Madhya Pradesh	नौकरी
6	श्री नरेंद्र बाफना	श्री शांतिलाल बाफना	सदस्य	CH-50, सुखलिया, इंदौर, Indore, Indore, Madhya Pradesh	रिटायर्ड
7	श्री दीपक ओहलान	श्री धर्मबीर सिंह	सदस्य	517, सेक्टर आर, महालक्ष्मी नगर, इंदौर, Indore, Indore, Madhya Pradesh	गार्डनिंग डिज़ाइनर

5. समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है। हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन-पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

क्रमांक	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते, पिता/ पति का नाम सहित	हस्ताक्षर
1	श्रीमती ज्ञानश्री बाफना , श्री नरेंद्र बाफना, CH-50, सुखलिया, इंदौर, Indore, Indore, Madhya Pradesh	
2	श्रीमती मोना शर्मा , श्री विशाल शर्मा, 3-MIG, परदेशीपुरा इंदौर, Indore, Indore, Madhya Pradesh	
3	श्रीमती करुणा शर्मा , श्री उत्तम शर्मा, G-3, श्याम दर्शन,स्कीम नंबर 114 PI, इंदौर, Indore, Indore, Madhya Pradesh	
4	श्रीमती परिधि सिंह , श्री नरेंद्र बाफना, 517, सेक्टर आर, महालक्ष्मी नगर, इंदौर, Indore, Indore, Madhya Pradesh	
5	श्री संजय जैन , श्री नरेंद्र बाफना, CH-50, सुखलिया, इंदौर, Indore, Indore, Madhya Pradesh	
6	श्री नरेंद्र बाफना , श्री शांतिलाल बाफना, CH-50, सुखलिया, इंदौर, Indore, Indore, Madhya Pradesh	
7	श्री दीपक ओहलान , श्री धर्मबीर सिंह, 517, सेक्टर आर, महालक्ष्मी नगर, इंदौर, Indore, Indore, Madhya Pradesh	

हम निम्नानुसार पदाधिकारी / सदस्य आदर्श उप-विधियाँ प्रारूप-एक क को सोसाइटी की उप-विधियों के रूप में स्वीकार करते हैं

(अध्यक्ष) (सचिव) (कोषाध्यक्ष)

सदस्य)

दिनांक.................................